न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 10/2018

अपीलांट

1. आबीद अली पुत्र अमीर अली (फौत) के कायम मुकाम :–
   1/1 गुलशन बानो पत्नी आबदी अली
   1/2 अरशाद अली पुत्र आबीद अली
   1/3 तैयब अली पुत्र आबीद अली
   1/4 मुबारक अली पुत्र आबीद अली
   1/5 शाहरूख अली पुत्र आबीद अली
   1/6 कु. शबनम पुत्र आबीद अली
   1/7 खुशबु पुत्री आबीद अली
2. अख्तार अली पुत्र अमीर अली
3. इकबाल अली पुत्र अमीर अली
4. जाकीर अली पुत्र अमीर अली तमाम जातियान मुसलमान निवासीगण जालोर तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. अनवर अली पुत्र कासम अली के कायम मुकाम
   1/1 नजम बानु बेवा कासम अली
   1/2 निलोफर पुत्री कासम अली
   1/3 हीना पुत्री कासम अली
   1/4 इमतियाज अली पुत्र अनवर अली के कायम मुकाम
   1/4/1 आमना बानू बेवा इमतियाज अली
2. बरकतअली पुत्र अब्दूल अली
   (अ) बरकतअली पुत्र अब्दुल अली
   (ब) समसेर अली पुत्र अब्दूल अली
3. भाटाराम पुत्र रूपाराम माली
4. केलाश कुमार पुत्र रूपाराम माली नाबालिग जरिये कुदरती वली रूपाराम माली
5. उस्मान अली पुत्र अहमद अली के कायम मुकाम
   5/1 सरदार अली पुत्र उस्मान अली के कायम मुकाम
   (अ) सब्बीर अली पुत्र सरदार अली
   (ब) अल्ताफ अली पुत्र सरदार अली
   (स) जन्नत बेवा सरदार अली के कायम मुकाम
   (स/1) सबीर अली पुत्र सरदार अली
   (स/2) अल्ताफ अली पुत्र सरदार अली
   5/2 रहमत अली पुत्र उस्मान अली के कायम मुकाम
   (क) अन्तरबाई बेवा रहमत अली
   (ख) इकबाल अली पुत्र रहमत अली
   (ग) सादिक अली पुत्र रहमत अली के कायम मुकाम
   (ग/1) अफरोजा बानो बेवा सादिक अली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(ग/2) शोएब अली पुत्र सादिक अली (नाबालिग उम्र 15 वर्ष)
(ग/3) कशिश उर्फ रौनक पुत्र सादिक अली (नाबालिग उम्र 13 वर्ष)
रेस्पोडेन्ट संख्या 5/2(ग/2) व 5/2 (ग/3) नाबालिग जरिये कुदरती वलया माता अफरोजा बानो बेवा सादिक अली
(घ) अजमत अली पुत्र रहमत अली
5/3 जफर अली पुत्र मेहर अली के कायम मुकाम
(च) नगीना बानू पत्नी जफर अली
(छ) शाहजाद अली पुत्र जफर अली
(ज) रजाक अली पुत्र जफर अली
(झ) मोहसीन अली पुत्र जफर अली
5/4 मुस्ताक अली पुत्र मेहर अली
5/5 लियाकत अली पुत्र मेहर अली

6. जुलफिकार अली पुत्र जफर अली
7. रिका जालोर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर
9. निम्बाराम पुत्र मानारामजी, जाति माली, निवासी तीखी, तहसील व जिला जालोर।

उपस्थित :–

1. श्री चुन्नीलाल पुरोहित अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री आसिफ अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4/1 की ओर से।
3. श्री नैनसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 की ओर से।
4. श्री भवानी सिंह सांदू विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 के कायम मुकाम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से।
5. श्री सिकन्दर अली सैयद विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से।
6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 08 की ओर से।
7. शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 07.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 40/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा जालोर के चक नं. सी के हाल खसरा नंबर 2670 रकबा 0.57 हैक्टेयर खसरा नंबर 2770, 2671 कुल रकबा 1.37 हैक्टयर के संबध मे खातेदारी घोषणा बाबत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वरा जवाब प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम के साथ बंटवाडे की अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई, बाद तनकीयात वादी के गवाह आबीद अली, राणसिंह, प्रतिवादी के मवाह रूगाराम बयान किये गये। वादी व प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज पेश किये गये जो प्रदर्श किये गये। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम बंटवाडा स्वीकार कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट में अपीलांट के दादा का पट्टा 1/2 हिस्सा का जारी हुआ था, परन्तु पट्टे में फर्जीवाडा से रेस्पोडेन्ट संख्या 05 रहमतअली व सरदारअली का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया। जबकि वास्तव में अपीलांट का 1/2 हक हिस्सा की खातेदारी पूर्व से ही थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने पर्चा लगान 2015 से 2028 प्रस्तुत किया, जिसमें उस्मान अली, मेहरअली अहमदअली का 1/2 हिस्सा दर्ज है गिरदावरी संवत 2010 से 2013 तक में 1/2 हिस्सा अपीलांट के दादा का नाम दर्ज है। एवं मौके पर कब्जा भी अपीलांट के दादा का था। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) जालोर के प्रकरण संख्या 1/1994 के निर्णयानुसार गलत मुआवजा राशि प्राप्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा जालोर के चक नं. सी के हाल खसरा नंबर 2670 रकबा 0.57 हैक्टेयर खसरा नंबर 2770, 2671 कुल रकबा 1.37 हैक्टयर के संबध मे खातेदारी घोषणा बाबत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वरा जवाब प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम के साथ बंटवाडे की अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई, बाद तनकीयात वादी के गवाह आबीद अली, राणसिंह, प्रतिवादी के मवाह रूगाराम ब्यान किये गये। वादी व प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज पेश किये गये जो प्रदर्श किये गये। उसके पश्चात अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम बंटवाडा स्वीकार कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। प्रथम सेटलमेंट से पूर्व जागीरदारों की जागीर रिज्युम हुई जो व्यक्ति काश्त करता था उसके अनुसार असको खातेदारी दी गयी थी। एवं उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गयां। प्रथम सेटलमेंट में अपीलांट के दादा आसन अली उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा दर्ज किया है, शेष खातेदारी उसमान अली, मेहर अली, पिसरान मोहम्मद अली का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया व 1/4 हिस्सा अब्दुल खा, अनवर अली पिसरान कासम दर्ज किया। संवत 2010 में इसी अनुरूप खातेदारी दर्ज थी अपीलांट के दादा के नाम राजस्व रेकर्ड में सेटलमेंट के दौरान खातेदारी में 1/2 हिस्सा दर्ज नहीं था हिस्सा कसी प्रथम सेटलमेंट से ही दर्ज थी, कब्जा काश्त उसी अनुरूप दर्ज है। अपीलांटगण ने यह स्वीकार किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में पट्टा जारी किया गया उसमें नाम दर्ज है। अपीलांट के दादा एवं पिता ने फर्जी नाम दर्ज करवाने बाबत कोई उग्र एतराज नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी पर पूर्वजों का कब्जे अनुसार कब्जा काश्त है। अपीलांट के दादाजी का 1/4 हिस्सा ही दर्ज था, उसके अनुसार म्युटेशन फौतगी का भरा गया। इसके अतिरिक्त हिस्सा कसी हेतु सिविल न्यायालय (व.ख.) जालोर द्वारा मुकदमा 01/1993 सरकार बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक रिको वगैरा में निर्णय दिनांक 02.06.1997 को पारित किया गया जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा मानकर मुआवजा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसे अपीलांटगण द्वारा स्वीकार किया जाकर अपने 1/4 हिस्से अनुसार ही मुआवजा राशि उठाई है। दौराने सेटलमेंट अधिकारी को उजरदारियो राजस्व रिकार्ड से संबधित सुनने का अधिकार प्राप्त होते है। अपने अधिकार क्षेत्र के अनुरूप ही आदेश पारित किया है। अपीलांटगण अगर इससे असंतुष्ट थे तो उसकी आपत्ति वगैरह करते किन्तु अपीलांटगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तनकीयात कायम कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा जालोर के चक नं. सी के हाल खसरा नंबर 2670 रकबा 0.57 हैक्टेयर खसरा नंबर 2770, 2671 कुल रकबा 1.37 हैक्टयर के संबध मे खातेदारी घोषणा बाबत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वरा जवाब प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम के साथ बंटवाडे की अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई, बाद तनकीयात वादी के गवाह आबीद अली, राणसिंह, प्रतिवादी के मवाह रूगाराम ब्यान किये गये। वादी व प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज पेश किये गये जो प्रदर्श किये गये। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम बंटवाडा स्वीकार कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। प्रथम सेटलमेंट में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट के दादा आसन अली उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा दर्ज किया है, शेष खातेदारी उसमान अली, मेहर अली, पिसरान मोहम्मद अली का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया व 1/4 हिस्सा अब्दुल खा, अनवर अली पिसरान कासम दर्ज किया। संवत 2010 में इसी अनुरूप खातेदारी दर्ज थी अपीलांट के दादा के नाम राजस्व रेकर्ड में सेटलमेंट के दौरान खातेदारी में 1/2 हिस्सा दर्ज नहीं था हिस्सा कसी प्रथम सेटलमेंट से ही दर्ज थी, कब्जा काश्त उसी अनुरूप दर्ज है। अपीलांटगण ने यह स्वीकार किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में पट्टा जारी किया गया उसमें नाम दर्ज है। अपीलांट के दादा एवं पिता ने फर्जी नाम दर्ज करवाने बाबत कोई उग्र एतराज नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी पर पूर्वजों का कब्जे अनुसार कब्जा काश्त है। अपीलांट के दादाजी का 1/4 हिस्सा ही दर्ज था, उसके अनुसार म्युटेशन फौतगी का भरा गया। इसके अतिरिक्त हिस्सा कसी हेतु सिविल न्यायालय (व.ख.) जालोर द्वारा मुकदमा 01/1993 सरकार बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक रिको वगैरा में निर्णय दिनांक 02.06.1997 को पारित किया गया जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा मानकर मुआवजा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। है। जिसे अपीलांटगण द्वारा स्वीकार किया जाकर अपने 1/4 हिस्से अनुसार ही मुआवजा राशि उठाई है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से 1/4 हिस्सा दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो का ध्यान में रखते हुए तनकीयात विचरित कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 40/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयो का रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली